रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17022021-225211
CG-DL-W-17022021-225211

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 06] नई दिल्ली, फरवरी 7 - फरवरी 13, 2021, शनिवार/ माघ 18 - माघ 24, 1942
No. 06] NEW DELHI, FEBRUARY 7 - FEBRUARY 13, 2021, SATURDAY/ MAGHA 18 - MAGHA 24, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 10 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई में सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई,सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा)(समूह 'क'पद),भर्ती नियम, 2021है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके,** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति .—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,**अन्य पिछडे वर्गों,**भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा)	1* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अहर्ताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) + प्रोन्नति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
संयुक्त पद्धति: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तगर्त अल्पकालीन संविदा भी है) + प्रोन्नति द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी/कानूनी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56,100 – 1,77,500/- रुपये) में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :- **आवश्यक** :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में मास्टर डिग्री या पशु चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, या माइक्रोबायोलोजी में मास्टर डिग्री । (ii) वर्तमान अच्छे विनिर्माण व्यवहार विनियमों और योग्यता के साथ मार्गदर्शक सिद्वान्त तैयार करने और अपेक्षित दस्तावेज़ रख-रखाव में अनुभव के साथ मानव जैव उत्पाद के विनिर्माण या माइक्रोबायोलॉजी के चिकित्सा क्षेत्र या विषाणु विज्ञान या जीव-रसायन विज्ञान या प्रतिरक्षा विज्ञान में अनुसंधान का पांच वर्ष का अनुभव । **वांछनीय** :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीव-रसायन विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी या प्रतिरक्षा-रसायन में पी एच डी । **टिप्पण 1** :- ऐसे विभागीय उप सहायक निदेशक (गैर–चिकित्सा) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100-1,77,500/- रूपये) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रतिनियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव रखते हैं, पर बहार वालों के साथ विचार किया जायेगा और उसके पद पर नियुक्ति के लिए चयन किए जाने की दशा में वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा ।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण 2 : - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा.सं. ए-12018/05/2017-ईपीआई]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 4th February, 2021

G.S.R. 10.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Non-medical) in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely: -

1. **Short title and commencement .— (1)** These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Assistant Director (Non-medical) (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix .—** The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc .—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification .—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax .—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non - selection.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Non-medical).	1* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Civil Services, Group 'A' Non-ministerial, Gazetted.	Level - 11 (Rs. 67,700-2,08,700/-).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short term contract) plus Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Composite Method: Deputation (including short term contract) plus Promotion. Officers under the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Autonomous/ Statutory Bodies; :- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-10 (Rs. 56,100-1,77,500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience; **Essential:** (i) Master Degree in Science or Master Degree in Veterinary Science in Bio-Chemistry or Microbiology from a recognised University or Institute. (ii) Five years experience in manufacturing of Human Biological products or in research in the field of medical of Microbiology or Virology or Bio-chemistry or Immunology along with experience in Current Good Manufacturing Practices regulations and guidelines with ability to prepare and maintain required documentation.	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

Desirable: Ph.D in Bio-Chemistry or Microbiology or Immuno-Chemistry from recognised University or Institute. **Note 1:** The departmental Deputy Assistant Director (Non-medical) in level-10 (Rs. 56,100-1,77,500/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade; and possessing the educational qualifications and experience prescribed for deputationists will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/05/2017-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2021

सा. का. नि. 11 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,और बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई (समूह 'ख'पद) भर्ती नियम, 1978 को, जहां तक इसका संबंध रेफ्रिजरेशन इंजीनियर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई में रेफ्रिजरेशन इंजीनियर के पदपर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई,रेफ्रिजरेशन इंजीनियर, समूह 'ख' पद,भर्ती नियम, 2021है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** .—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** .—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** .—वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करकेतथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके,इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति .**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,**अन्य पिछडे वर्गों**, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रेफ्रिजरेशन इंजीनियर	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘ख’राजपत्रित, अनअनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900 -142400 रुपये)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे विद्युत और यांत्रिक पर्यवेक्षक जिन्होंने वेतन मेंट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिक या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रौनिक्स इंजीनियरी (ईईई) में डिप्लोमा या उसके समतुल्य किया हो और विभाग द्वारा यथा विहित सुसंगत विषय में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफतलापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रान्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उसके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):**केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुये हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो, और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) उप महानिदेशक(लोक स्वास्थ्य),स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष; (2) निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (3)निदेशक, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला,चेन्नई - सदस्य; (4)उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरीया यांत्रिक इंजीनियरीया इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रौनिक्स इंजीनियरी(ईईई) में डिग्री । (ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से चिकित्सीय प्रयोगशाला उपस्कर और प्रशीतन संयंत्र के रखरखाव और हैंडलिंग में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । **टिप्पण 1**:पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति, अल्प कालिक संविदा सहित, की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य संवर्ग-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति,अल्प कालिक संविदा सहित,की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति,अल्प कालिक संविदा सहित,द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा. सं. ए-12018/11/2016 -ईपीआई]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

New Delhi, the 4th February, 2021

G.S.R. 11.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1978, in so far as they relate to the post of Refrigeration Engineer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Refrigeration Engineer in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely: -

1. Short title and commencement .— (1)These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Refrigeration Engineer , Group 'B' Post Recruitment Rules, 2021.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix .— The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification .—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules

5. Power to relax .— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether selection Post or non selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Refrigeration Engineer	1* (2021) *Subject to Variation dependent on workload	General Central Service, Group ‘B,’ Ministerial Gazetted	Level -7 (Rs. 44900-142400/-)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which deputation including short term contract (ISTC).

In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Electrical and Mechanical Supervisor with five years regular service in the level-6 (Rs. 35400-112400/-) of the pay matrix and possessing Diploma in Electrical or Mechanical or Electrical and Electronics Engineering (EEE) from a recognised University or equivalent and having successfully completed two to four weeks training in the relevant	**Group B Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Deputy Director General (Public Health), Directorate of General Health Services - Chairman 2. Director Admn and Vigilance. Directorate of General Health Services - Member 3. Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai -Member 4. Deputy Director (Admin) Directorate of General Health Services - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

subject as prescribed by the Department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (Including Short Term Contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutes: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Degree in Electrical Engineering or Mechanical Engineering or Electrical and Electronics Engineering (EEE) from a recognised University. (ii) Two years practical experience in maintenance and handling of Medical Laboratory Equipment and Refrigeration Plants from recognised institute. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

Note 2: Period of Deputation Including Short Term Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation Including Short Term Contract shall Not be exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/11/2016-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2021

सा. का. नि. 12 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई, सहायक तकनीकी अधिकारी, भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई में सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई,सहायक तकनीकी अधिकारी(समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,**अन्य पिछडे वर्गों**, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक तकनीकी अधिकारी	02* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख',अराजपत्रित, अनतुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	आयु - लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हताएं– लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: तकनीकी पर्यवेक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूक्ष्म जीवविज्ञान या जीव रसायन विज्ञान या जैवप्रविधि या प्रतिरक्षा विज्ञान या जीवन विज्ञान या जैव-प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी स्नातक हो और विभाग द्वारा यथा प्रस्तावित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) उप महानिदेशक(जन स्वास्थ्य) - अध्यक्ष; (2) निदेशक(प्रतिरक्षण पर विस्तृत कार्यक्रम), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (3) निदेशक, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई-सदस्य; (4)उप निदेशक (प्रशासन) - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

पूरा किया हो । **टिप्पण 1:**पोषक प्रवर्ग के ऐसे वर्तमान नियमित पदधारी,अर्थात तकनीकी पर्यवेक्षक, जो मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में विज्ञान से स्नातक की डिग्री, इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख को रखते हों, भी प्रोन्नति के लिए विचार किये जाने के पात्र होंगे । **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रान्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उसके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) उप महानिदेशक (जन स्वास्थ्य) - अध्यक्ष; (2) निदेशक (प्रतिरक्षण पर विस्तृत कार्यक्रम), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (3)निदेशक, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - सदस्य; (4) उप निदेशक(प्रशासन) - सदस्य।	

[फा. सं.ए-12018/01/2019 -ईपीआई]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

New Delhi, the 4th February, 2021

G.S.R. 12 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Assistant Technical Officer. Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Technical Officer, in the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Ministry of health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Assistant Technical Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No persons,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Technical Officer	2* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'	Level -6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Age-Not applicable Educational Qualification - Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Technical Supervisor with six years regular service in level-5 in the pay matrix (Rs 29,200-92,300) and having B. Sc. Degree in Microbiology or Biochemistry or Biotechnology or Immunology or Life Science or B. Tech in Biotechnology from a recognised University or institute and having two to four weeks mandatory training in the relevant field as proposed by the department. **Note 1**: The existing regular incumbents in the feeder grade i.e; technical supervisor possessing Bachelor of Science in any subject from recognised	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1. Deputy Director General (Public Health) –Chairman; 2. Director, (Expanded Programme on Immunization), Directorate General of Health Services – Member; 3. Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai – Member; 4. Deputy Director Administration – Member; **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Deputy Director General (Public Health) – Chairman; 2. Director, (Expanded Programme on Immunization) Directorate General of Health Services –Member; 3. Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai -Member; 4. Deputy Director Administration - Member;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

University or institute on the date of notification of these rules shall also be eligible for consideration of promotion. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also by considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[F. No. A-12018/01/2019-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM